आयकर अपीलीय अधिकरण, सुरत न्यायपीठ, सुरत
श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा श्री ओ.पी.मीना, लेखा सदस्य के समक्ष
आ.अ.सं.448/SRT/2018 ::निर्धारण वर्ष:2014-15

Someshwara Developers , **M-33, 01 Upper Level Parking,** **Someshwara Textile Marketing** **Kamela Darwaja Surat 395002** **PAN: ABWFS 9157M**	बनाम	**Deputy Commissioner of Income-Tax, Circle -2 (3) Surat**
अपीलार्थी		**प्रत्यर्थी**

निर्धारिती की ओर से	Shri Ramesh Kumar Malapani, CA
राजस्व की ओर से	Shri O. P. Singh, विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई की तारीख:	**11.10.2018**
उद्घोषणा की तारीख	**15.10.2018**

आदेश

श्री ओ.पी.मीना, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारिती द्वारा □ह अपील विद्वान आ□कर आ□क्त (अपील)-I, **सुरत** के आयकर अधिनियम,1961 की धारा 143(3) के अधीन पारित आदेश दिनांक 24.05.2018 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ये हैं कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 14.06.2017, 02.01.2018, 01.02.2018, 25.02.2018, 16.03.2018, 12.04.2018 तथा 15.05.2018 को नियत था । सुनवाई की तारीख पर न तो निर्धारिती की ओर से कोई उपस्थित हुआ न ही कोई ब्यौरें दाखिल किए गए जैसा कि आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश से प्रकट है। अतः विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती की अपील खारिज की है।

3. अपील की सुनवाई के दौरान, विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने इस न्यायपीठ से सुनवाई का एक अवसर देने का अनुरोध किया । अतः, उसने इस अपील को पुनःस्थापित करने का अनुरोध किया । दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश पर निर्भरती रखी ।

4. हमने दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने पाया कि इस अपील की सुनवाई में निर्धारिती उपस्थित नहीं रहा था । अतः, यह मामला निर्धारिती की अनुपस्थिति में निर्णयित किया गया था । **दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem)** का सिद्धांत प्राकृतिक न्याय की मूलभूत अवधारणा है । पदबंध "**दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem)**" का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं का बचा□ करने का अ□सर दिया जाना चाहिए । यह सिद्धांत प्रत्येक समाज हेतु **अनिवार्य (sine qua non)** है जैसे नोटिस का हक, प्रकरण तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का हक, प्रतिकूल साक्ष्य का खंडन करने का हक, प्रति परीक्षण का हक, विधिक प्रतिनिधित्व का हक, पक्ष को साक्ष्य प्रकटन, जांच की रिपोर्ट अन्य पक्ष को दिखा□ा जाना और तर्कपूर्ण निर्ण□ □ा सकारण आदेश । हमने पा□ा कि सुनवाई के हक को माननी□ सर्वोच्च न्या□ाल□ द्वारा मेनका गांधी बनाम □ूनि□न ऑफ □न्डि□ा (1978 एआईआर 597; 1 एससीसी 248) के प्रकरण में निर्णयित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिधारित किया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उ□ित सुनवाई का नियम आवश्यक है । हमने पाया कि यह दूसरे पक्ष की भी सुनो (audi alteram partem) नियम के प्रतिमान का निर्णय-पूर्व सुनवाई मानक है । हमने पाया कि इस वर्तमान प्रकरण में, निर्धारिती को सुनवाई का समु□ित अवसर नही□ दिया गया था । अतः, हमारा अभिमत है कि निर्धारिती को सुनवाई तथा उसके प्रकरण को प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया जाना □ाहिए । अतः, हम यह अपील स्वीकृत करते है । निर्धारिती को इस आदेश की प्राप्ति के दो माह के अ□र विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया जाता है । विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) को निर्धारिती को सुनवाई का उ□ित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार अपील निर्णयित करना □ाहिए ।

6. परिणामतः, निर्धारिती की अपील सां□ियकीय उद्देश्यो□ से स्वीकृत की जाती है

यह आदेश 15.10.2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

Sd/-	Sd/-
(सी.एम.गर्ग)	(ओ.पी.मीना)
न्यायिकसदस्य	लेखासदस्य

सुरत दिना□ : 15.10.2018

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल